सत्र 2009-2010 एवं उसके बाद अगर कोई विद्यार्थी विधि स्नातक (Law graduate) हुए हैं तो उनका अधिवक्ता का नामांकन (Enrolment) पहले सिर्फ दो वर्षों के लिये होता है। ये दो वर्ष बीतने के पहले उन्हें अखिल भारतीय बार परीक्षा पास करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होने पर उनका Enrolment तब तक के लिये निलंबित हो जाता है जब तक कि उपरोक्त परीक्षा उर्तीण करे। परंतु सफल हो या असफल प्रथम दो वर्षों के दौरान उन्हें अधिवक्ता के पेशे से संबंधित सारे अधिकार उपलब्ध रहते हैं।

ऐसे असफल अधिवक्ता यदि दो वर्षों के बाद AIBE पास हो जायेंगे तब उन्हें सारे अधिकार पुनः प्राप्त हो जायेंगे। अन्यथा Enrolment के दो वर्षों के बाद उन्हें निलंबित माना जाता है।

साथ ही यदि प्रथम दो वर्षों के दौरान ही अधिवक्ता परीक्षा उत्तिर्ण कर लें तब उन्हें अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सदस्य बनने एवं संघ चुनाव से संबंधित अधिकार पास होते ही प्राप्त हो जाते हैं।

<u>AIBE के लिए प्रक्रिया निम्नलिखित है</u>

1. सर्वप्रथम झारखण्ड स्टेट बार कौंसिल से नामांकित (Enrolment) होना होगा। क्योंकि तब ही AIBE के लिए योग्य माने जायेंगे।

2. BCI साल में दो बार AIBE आयोजित करती है जो March/April तथा November/December में होता है

3. इसके लिए आवेदन दो तरह से भरवाया जाता है:-

   (क) Online i.e. through internet

   (ख) Offline through State Bar Council

4. परीक्षा का शुल्क (Fee) Rs. 2500/- है जो Bank Challan (SBI) के माध्यम से जमा किया जाता है।

5. All India Bar Exam के लिये इच्छित परीक्षा केन्द्र बताना है। इसके लिये आवेदक को तीन विकल्प देना होता है। झारखण्ड में दो केन्द्र प्रस्तावित है राँची तथा धनबाद।

6. AIBE-V के लिये राँची एवं धनबाद में परीक्षा केन्द्र था।

7. AIBE पास करने के बाद सफल अभ्यर्थियों का certificate of practice (COP) result के लगभग दो से तीन महीना बाद राज्य बार कौंसिल को BCI के द्वारा भेजा जाता है जिसे ID Proof देखने के बाद candidate को सौंप दिया जाता है।

8. All India Bar Council Exam का website है www.allindiabarexamination.com

----